आदेश अज अदालत अभिलाषा, आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

मुकदमा नं0 :–34 / 2018 निर्णय दिनांक :–14.02.2020

1. जयदेव पुत्र गाडाराम उर्फ घड़सीराम, जाति जाट, निवासी नेतरामपुरा , तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)
2. हरदेव सिंह पुत्र गाड़ाराम उर्फ घड़सीराम, जाति जाट, निवासी नेतरामपुरा, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज.)

—————— आवेदक

बनाम

1. शुभराम पुत्र नत्थूराम
2. निम्बों पत्नी स्व. नत्थूराम
3. सुगेर पुत्र बनवारी
4. शीशराम पुत्र बनवारी
5. दयाराम पुत्र बनवारी
6. विजेन्द्र पुत्र बनवारी
7. फूली पत्नी स्व. बनवारी
8. माईराम पुत्र बुजाराम
9. रोहिताश पुत्र बुजाराम
10. लादूराम पुत्र माडूराम समस्त जाति मेघवाल, निवासी फतेहपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)
11. बचनसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति राजपूत, निवासी फतेहपुरा, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)।
12. करणसिंह पुत्र गाडाराम उर्फ घड़सीराम
13. देवीसिंह पुत्र गाडाराम उर्फ घड़सीराम
14. ज्ञानप्रकाश पुत्र गाड़ाराम उर्फ घड़सीराम
15. जयसिंह पुत्र गाडाराम उर्फ घड़सीराम
16. हेमराज पुत्र गाडाराम उर्फ घड़सीराम समस्त जाति जाट निवासी नेतरामपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)।
17. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज.)

——————अनावेदकगण

आवेदन पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा
निर्णय

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा दिनांक 13.09.2012 को एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) के तहत इस आ[illegible] हुआ कि आवेदकगण व अनावेदकगण 12 लगायत 16 की संयुक्त खातेदारी [illegible] की भूमि खसरा नं0 98 रकबा 4.17 हैक्टर मौजा ग्राम नेतरामपुरा स्थित है जिसमें आवे[illegible] मकानात, पशुओं के ढारे बना रखे है जिसमें आने जाने के लिए अनावेदकगण सं[illegible] लगायत 10 की खातेदारी भूमि खसरा नं0 41 रकबा 1.23 हैक्टर ग्राम फतेहपुरा व अनावेदक संख्या 11 की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 44 रकबा 10.77 हैक्टर, खसरा नं0 45 र[illegible] 4.11 हैक्टर ग्राम फतेहपुरा में मुताबिक नजरी नक्शा नया मार्ग खोलने का आशय रखता है और इसलिए आवेदकगण आवेदन करते है। इस पर जांच रिपोर्ट तहसीलदार सूरजगढ़ से मंगवाई गई जिस पर हल्का पटवारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई कि चाहे गए रास्ते की कुल लम्बाई खसरा नं. 44 में से 225 मीटर, खसरा नं0 45 में से 220 मीटर व खसरां नं. 41 में से 70 मीटर लम्बाई पड़ती है। उक्त रिपोर्ट क्रमांक /राज0/13/56 दिनांक 22.02.2013 प्राप्त होने पर दिनांक 04.03.2013 को दर्ज रजिस्टर किया–जाकर अनावेदकगण की तामिल जरिए सम्मन की गई। सम्मन

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:44:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अनावेदकगण की प्रयाप्त तामिल होने पर अनावेदकगण नं. 1 लगायत 9, व 11 की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित आया शेष प्रतिवादीगा की बाद तामिल कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 07.08.2015 को उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौराने बहस आवेदकगण की तरफ से मुताबिक रिपोर्ट 3 मीटर चौड़ा रास्ता दिलवाए जाने का निवेदन किया व अनावेदकगण के अधिवक्ता ने अपनी सहमति जाहिर की व मुताबिक रिपोर्ट रास्ता देने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली व प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्ट दस्तावेजात का अवलोकन किया गया पत्रावली पर मौजूद अनावेदकगण की तामील पर्याप्त हो चुकी है। प्रतिवादीगण 10 व 12 लगायत 17 की तरफ से कोई अधिवक्ता या स्वयं अनावेदकगण उपस्थित नहीं हुये है। जिनमें विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है व आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने पर मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व प्रस्तुत नजरी नक्शा मुताबिक ग्राम फतेहपुरा स्थित भूमि खसरा नं0 44 रकबा 10.77 हैक्टर मे से 225 मीटर लम्बाई व 3 मीटर चौड़ा, खसरा नं. 45 रकबा 4.11 हैक्टर मे से 220 मीटर लम्बाई व 3 मीटर चौड़ा एवं खसरा नं. 41 रकबा 1.23 हैक्टर मे से 70 मीटर लम्बाई व 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता मूल कटानी रास्ता से आवेदकगण के खेत खसरा नं. 98 रकबा 4.17 हैक्टर मौजा ग्राम नेतरामपुरा तक नया मार्ग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें व नक्शें में तरमीन किये जाने का आदेश दिनांक 11.09.2015 को पारित किया गया। उक्त आदेश की माननीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां अपील की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 11.09.2015 को खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुऐ मौके की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी से मंगवाई जाकर अपना निर्णय पुनः पारित करें। उक्त आदेश के संदर्भ में पक्षकारों को सुना जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 13.09.2019 का अवलोकन किया जिसमें ग्राम नेतरामपुरा में स्थित हाल ख.नं. 183/98 रकबा 0.04 है0 गै0मु0 रास्ता, हाल ख.नं. 184/98 रकबा 4.13 है0, हाल ख.नं. 182/97 रकबा 2.24 है0 तथा ख.नं. 96 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 ढाणी वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। नक्शानुसार ग्राम नेतरामपुरा की मुख्य आबादी से एक राजस्व नक्शा में कटानी प्रचलित रास्ता ग्राम राठियों की ढाणी को जाता है। जिसके ख. नं. 75 है। उक्त रास्ते से राजस्व रिकार्ड में डोटेड लाईन से दर्शाया गया है। जो मौके पर प्रचलित है। जो ख.नं. 75 गै0 मु0 रास्ता से हाल ख.नं. 92 वाके ग्राम नेतरामपुरा स्थित में से होता हुआ ख.नं. 93 तक जाता है। उक्त रास्ता हाल ख.नं. 92 के पश्चिमी सीमा से तथा ख. नं. 180/92 के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे ख.नं. 182/97 तक कुल दूरी 232 मीटर उक्त तहसीलदार की रिपोर्ट में दर्ज की है। अतः ख.नं. 182/97 की खातेदारी वादीगण की है। और ख.नं. 184/98 में जाने के लिए रास्ता चाहा है। इस प्रकार ख.नं. 182/97 व ख.नं. 184/98 की सीमा लगती हुई है। इस प्रकार मौके पर प्रचलित रास्ते से वादीगण के नजदीक रास्ता की दूरी 232 मीटर लगती है। और वादीगण अपने प्रार्थना पत्र में अनवेदकगण के ख.नं. 41 व 44, 45 वाके ग्राम फतेहपुरा स्थित में से होता हुआ ख.नं. 98 ग्राम नेतरामपुरा तक चाहा गया है। जिसकी दूरी उक्त दूरी 232 मीटर से अधिक दूरी का रास्ता लगता है। इस प्रकार धारा 251 A काश्तकारी कानून की मंशा है कि खातेदार को नजदीक से नजदीक रास्ता दिया जावेगा तथा खोतदार की सुविधा के अनुसार रास्ता नहीं दिया जावेगा। इस प्रकार आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता अधिक दूरी का है। और तहसीलदार सूरजगढ़ की रिपोर्ट से नजदीक रास्ता हाल ख.नं. 92 व 180/92 वाके ग्राम [illegible] से वादीगण की खातेदारी की भूमि ख.नं. 182/97 के लगता है। इस कार[illegible]ीक रास्ता लगता है। उस ख.नं. के खातेदारों को पक्षकार प्रार्थना पत्र नहीं [illegible] है [illegible]दूरी का रास्ता ख.नं. 92 व 180/92 के खातेदारों को पक्षकार [illegible] आवेदन करने के लिए प्रार्थीगण स्वतंत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:44:30 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आ[illegible]गण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner